

समाहरणालय, पटना ।

(शस्त्र शाखा)

फोन न० 0612-2219545 (का०)

फैक्स न०-0612-2218900

Email : dampatnaarmssection@gmail.com

dm-patna.bih@nic.in

—: आदेश :—

-11-2013

आवेदक श्री सुनील कुमार, पिता-स्व० मिथिलेश प्रसाद सिंह, सा०-कंकड़बाग, पो०-लोहिया नगर, थाना-कंकड़बाग, जिला-पटना से प्राप्त एक एन०पी०बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या-09-35/2013 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि-28.11.2013 निर्धारित की गई।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक-28.11.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे ठीकेदार हैं एवं व्यवसाय करते हैं। उनका रिबॉक एवं पिटर इंगलैंड का शोरूम है। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-655/गो०, दिनांक-24.04.2013 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को मूल में अग्रसारित कर भेजा गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, कंकड़बाग के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक का शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ हेतु अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, कंकड़बाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे ठीकेदार हैं एवं व्यवसाय करते हैं। तदोपरान्त आवेदक के जान-माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में थानाध्यक्ष द्वारा आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।


वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान-माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री सुनील कुमार, पिता-स्व० मिथिलेश प्रसाद सिंह, सा०-कंकड़बाग, पो०-लोहिया नगर, थाना-कंकड़बाग,

जिला-पटना को उनके द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगे।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।
लेखापित एवं संशोधित।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।